128

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 5019–दो/2017 – विरूद्ध आदेश दिनांक 5–1–17 – पारित व्दारा – तहसीलदार हुजूर जिला रीवा – प्रकरण क्रमांक 130/2015–16 अ–70

चन्द्रमणि द्विवेदी पुत्र रामसहाय द्विवेदी
निवासी संजयनगर तहसील हुजूर
जिला रीवा मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती गायत्री देवी पत्नि सियाशरण शर्मा
बार्ड क्र–15 पंप हाउस के पास संजयनगर
तहसील हुजूर जिला रीवा मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री जितेन्द्र पाठक)
(अनावेदक के अभि0 श्री भूपेन्द्र पाण्डे)

आ दे श

(आज दिनांक 18–07–2018 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार हुजूर जिला रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 130 अ–70/15–16 में पारित आदेश दिनांक 5–1–17 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के अंतर्गत आवेदक के विरूद्ध दावा दायर करते हुये मांग की कि ग्राम समान 580

पटवारी हलका नंबर 32 की उसके स्वामित्व की आराजी क्रमांक 60/4/2 रकबा 0.013 है. यानि 1375 वर्गफुट भू भाग उसके स्वामित्व की भूमि है किन्तु उस पर आवेदक ने अतिक्रमण कर लिया है कार्यवाही की जावे। तहसीलदार हुजूर ने प्रकरण क्रमांक 130 अ-70/15-16 पॅजीबद्व किया तथा पक्षकारों की सुनवाई प्रारंभ की। पेशी 5-1-17 को अवकाश होने पर प्रकरण 6-1-17 को लिया गया । अना. अभिभाषक के अभिभाषक ने समय की मांग की। तहसीलदार हुजूर ने अंतरिम आदेश दिनांक 6-1-17 से समय देते हुये आगामी तिथि पर उभय पक्ष से मय दस्तावेज तर्क प्रस्तुत करने की अपेक्षा की। तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों को सुनना चाहा, किन्तु उभय पक्ष ने प्रथक प्रथक लेखी बहस प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उपलब्ध अभिलेख के अवलेकन से एंव लेखी बहस के तथ्यों से यह निर्विवाद है कि ग्राम समान आराजी क्रमांक 60/4/2 रकबा 0.013है. यानि 1375 वर्गफुट भू भाग की अनावेदक भूमिस्वामी है जिस पर आवेदक व्दारा अतिक्रमण करने के कारण अनावेदक ने तहसीलदार के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 का दावा प्रस्तुत किया है। निगरानी मेमो के उन्मान में में आवेदक की ओर से तहसीलदार के तीन अंतरिम आदेश अंकित किये हैं जो इस प्रकार हैं :-

अंतरिम आदेश दिनांक 8-12-16 :- अनावेदक चन्द्रमणि व्दारा स्वतः उप0 होकर लिखित जबाव व आपत्ति आवेदन दिया प्रति आवेदिका के उप0 पति सियाशरण को दी गई। वास्ते तर्क- 18-1-17

अंतरिम आदेश दिनांक 21-12-17 :- आवेदिका व्दारा शीघ्र सुनवाई हेतु आवेदन पत्र पेशी सुना गया। स्वीकृत 2- अनावेदक को नोटिस जारी करें। पेशी 05-1-17

अंतरिम आदेश दिनांक 5-1-17 अवकाश 6-1-17 :- उभय पक्ष अभि0 उप0 अना.अभि.उप0 बताया कि अनावेदक स्वतः शासकीय सेवा में है समय चाहिये - Permitted - अगली तिथि पर उभय पक्ष मय दस्तावेज तर्क प्रस्तुत करें। तहसीलदार हुजूर की उपरोक्त तीनों आर्डरशीट स्पष्ट है जिनमें अंकित अंतरिम

आदेशों से किसी पक्ष को कोई हानि होना परिलक्षित नहीं है अपितु तहसीलदार हुजूर ने दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया है व सुना है, इसके वाद भी अंतरिम आदेश दिनांक 5-1-17 अवकाश 6-1-17 के विरूद्ध आवेदक व्दारा निगरानी करने से प्रतीत होता है कि आवेदक तहसील न्यायालय के प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण नहीं होने देना चाहता है एंव वह दिनांक 17-1-17 के वाद से तहसील न्यायालय के प्रकरण को विचाराधीन निगरानी में उलझाये हुये है जिसके कारण यह निगरानी निराधार एंव सारहीन है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार हुजूर जिला रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 130 अ-70/15-16 में पारित आदेश दिनांक 5-1-17 यथावत् रखते हुये निर्देश दिये जाते हैं कि तहसीलदार हुजूर हितबद्ध पक्षकारों को श्रवण कर प्रकरण क्रमांक 130 अ-70/15-16 का अंतिम निराकरण 60 दिवस के भीतर करें ।

(एस0एस0अहीं)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर